an>

Title: Need to expedite allotment of alternative land as part of compensation to the farmers in Delhi whose lands have been acquired by Government

.

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में किसानों की बात हो रही है तो मैं भी किसान की बात उठाने जा रहा हूं। मेरा क्षेत्र उत्तर-पश्चिमी दिल्ली है, जिसमें 85 गांव हैं और तकरीबन सभी गांवों में एक जैसी समस्या है। 1961 का होम मिनिस्ट्री का रूल है कि जिनकी जमीनें डीडीए एक्वायर कर रही है, उन्हें आल्टरनेटिव प्लाट दिया जाना चाहिए। लेकिन आज 25-30 साल हो गये हैं, पहले फेज में कुछ दिया भी गया था, लेकिन दूसरे फेज में उन किसानों को आल्टरनेटिव प्लाट नहीं दिये गये हैं। अब आल्टरनेटिव प्लाट के दाम इतने अधिक हो गये हैं कि जितना उन्हें मुआवजा जमीन से मिला था, अपने रहने के लिए जो उन्हें प्लाट देना चाहिए था, उसका मूल्य कई गुणा बढ़ गया है। इसलिए पुराने रेट पर ही उन्हें आल्टरनेट प्लाट दिये जाने चाहिए। लेकिन तमाम गांवों में उन्हें आल्टरनेटिव प्लाट नहीं दिये जा रहे हैं। यह एक बहुत भयंकर शोÂाण है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इस पर विशेÂा ध्यान दिया जाना चाहिए। वहां लोगों में बहुत बेचैनी है। मान लीजिए जिनकी दस एकड़ जमीन है, उसमें से नौ एकड़ अधिगृहीत की गई, केवल एक एकड़ अधिगृहीत नहीं हो पाई है तो उन्हें भी डिनाई किया जा रहा है। मेरा डीडीए से लगातार संवाद रहा है, वे कहते हैं कि दिया जायेगा, लेकिन वे देते हैं नहीं हैं।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से अर्बन डैवलपमैन्ट मिनिस्ट्री से निवेदन है कि उन्हें जल्दी से जल्दी आल्टरनेट प्लाट दिये जाएं। धन्यवाद।